

थाना उझानी पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्तगण को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बदायूँ के कुशल निर्देशन में एंव पुलिस अधीक्षक नगर महोदय बदायूँ के पर्यवेक्षण में एंव क्षेत्राधिकारी उझानी महोदय बदायूँ के नेतृत्व में चलाये जा रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 09.10.2021 को उ.नि. श्री लवगिरि व का. 1695 रवि कुमार के द्वारा मु0अ0सं0 432/2021 धारा 376/ 511 IPC में वांछित अभियुक्तगण तेजपाल पुत्र सत्यराम व धीरपाल पुत्र सोहनलाल उर्फ सोनू नि.गण ग्राम अल्लापुर चमारी थाना उझानी बदायूँ को मुखबिर की सूचना पर बरी बाईपास बस स्ट्रैण्ड कस्वा व थाना उझानी, बदायूँ से गिरफ्तार किया गया जिसे नियमानुसार जेल भेजा गया।

दिनांक 01.10.2021 अभियुक्तगण तेजपाल व धीरपाल उपरोक्त द्वारा ग्राम अल्लापुर चमारी में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 02.10.2021 को मु.अ.सं. 432/21 धारा- 354/506 IPC बनाम धीरपाल पुत्र सोहनलाल उर्फ सोनू व तेजपाल पुत्र सत्यराम नि.गण ग्राम अल्लापुर चमारी थाना उझानी बदायूँ पंजीकृत कराया गया था। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 376/ 511 IPC में संसोधित की गयी थी। आज अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. धीरपाल पुत्र सोहन लाल उर्फ सोनू नि. ग्राम अल्लापुर चमारी थाना उझानी, बदायूँ।
2. तेजपाल पुत्र सत्यराम नि. ग्राम अल्लापुर चमारी थाना उझानी, बदायूँ

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ.नि. श्री लवगिरि थाना उझानी, बदायूँ।
2. का0 1695 रवि कुमार थाना उझानी, बदायूँ।

सोशल मीडिया सैल

जनपद बदायूँ।